संख्या-144/2025//001-1221-23-12-2025-1978811

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत प्रथम चरण के चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य से सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों/जनपदों के चिन्हित कुल 14 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के ई-पत्रांक- I/300927/2025 (PWD-RSDOGEN/67/2025-RSD), दिनांक 06.10.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क सुरक्षा योजनान्तर्गत चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य से सम्बन्धित अधोलिखित तालिका में अंकित विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद- बांदा, बागपत एवं मेरठ के कुल 14 कार्यों की लागत रू0 517.66 लाख (रूपये पॉच करोड़ सत्रह लाख छियासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागत के सापेक्ष कुल रू0 258.80 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठावन लाख अस्सी हजार मात्र) के व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

प्रथम चरण से आच्छादित 14 कार्य

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम	जनपद/ खण्ड का नाम	विधान सभा	कार्य का नाम	प्रथम चरण की कार्ययोजना में कार्य का क्रमांक	परीक्षणोपरान्त लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बांदा	बांदा/प्रा0खं0	बबेरू	बांदा बबेरू कमासिन राजापुर (राज्य मार्ग संख्या-92) के किमी0 03 से 37 में आने वाले ब्लैक स्पॉट मुरवल में टी जंक्शन/चौराहो पर रोड सेफ्टी का कार्य।	25	48.53	**24.26**
2	बांदा	बांदा/प्रा0खं0	बबेरू	बांदा बबेरू कमासिन राजापुर (राज्य मार्ग संख्या-92) के किमी0 40 से 67 में आने वाले ब्लैक स्पॉट राजापुर, मेन रोड एवं कमासिन टी जंक्शन/चौराहो पर रोड सेफ्टी का कार्य।	28	24.75	**12.37**
3	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	छपरौली	मेरठ-बडौत मार्ग (राज्य मार्ग) की चैनेज 35.550 से 35.650 पर चिन्हित बरनावा ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	67	31.76	**15.88**
4	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बडौत	बडौत-अमीनगर सराय मार्ग (प्र0जि0मा) की चैनेज 1.200 से	68	3.68	**1.84**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				1.700 पर चिन्हित सराय रोड ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।			
5	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बागपत	बन्थला-ढिकौली मार्ग के कि0मी0-15 से रटौल लोनी मार्ग (अ0जि0मा0) की चैनेज 1.680 से 1.720 पर चिन्हित रटौल पुलिया ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	69	3.78	**1.89**
6	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बडौत	मेरठ-बडौत मार्ग (राज्य मार्ग) की चैनेज 45.020 से 45.170 पर चिन्हित जौहडी ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	70	5.18	**2.59**
7	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	छपरौली	टाण्डा रमाला मार्ग (अ0जि0मा0) की चैनेज 15.140 से 15.310 पर चिन्हित रमाला ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	71	27.66	**13.83**
8	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बागपत	बन्थला-ढिकौली मार्ग (अ0जि0मा) की चैनेज 16.830 से 16.890 पर चिन्हित लहचौडा ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	72	4.69	**2.34**
9	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बडौत	बडौत छपरौली टाण्डा मार्ग (अ0जि0मा0) की चैनेज 3.370 से 3.390 पर चिन्हित मलकपुर ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	73	6.89	**3.44**
10	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बडौत	बडौत छपरौली टाण्डा मार्ग (अ0जि0मा0) की चैनेज 6.030 से 6.050 पर चिन्हित सिनौली ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	74	4.74	**2.37**
11	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बागपत	बन्थला-ढिकौली मार्ग (अ0जि0मा0) की चैनेज 15.950 से 16.250 पर चिन्हित पेरिफेरल अण्डपास ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	75	6.52	**3.26**
12	मेरठ	बागपत/प्रा0 खं0	बागपत	बन्थला-ढिकौली मार्ग (अ0जि0मा) की चैनेज 13.605 से 13.985 पर चिन्हित ग्राम रटौल ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधार कार्य।	76	7.35	**3.67**
13	मेरठ	मेरठ/नि0खं0	सरधना	दौराला मसूरी अन्य जिला मार्ग पर ब्लैक स्पॉट सुधार, कि0मी0 03 में क्रैश बेरियर एवं समौली, पनवाड़ी, लावड़, खरदौनी, महल, मौहम्मदपुर आबादी भाग से पूर्व टेबल टॉप एवं मार्ग के जंक्शन सुधार का कार्य। का कार्य।	81	154.08	**77.04**
14	मेरठ	मेरठ/प्रा0खं0	मेरठ कैण्ट	गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग पर वर्ष 2024 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट मलियाना फ्लाई ओवर के सुधार का कार्य।	84	188.05	**94.02**
					योग	**517.66**	**258.80**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं का कार्य शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त 06 माह में पूर्ण कर लिया जाय तथा उक्त परियोजनाओं का भविष्य में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

7- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-7-2-1606/दस-2014- 17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

8- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

10- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

13- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

14- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

15- लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04- 2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्य प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

19- प्रायोजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण अपेक्षित हो, तो विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये। तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

20- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनाक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सेना रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सम्बन्धित व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर सम्बन्धित व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

21- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कोस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

22- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कल्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

23- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

24- लोक निर्माण विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के विभाग के मुख्य अभियन्ता स्तर से अनुमोदित एवं परीक्षित भी हो। उक्त के आधार पर ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्य मदों में धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

25- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

26- यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।

27- प्रायोजना प्रस्ताय/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आकलन किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि सम्बन्धित व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

28- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/ तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

29- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

30- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

31- नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निर्दिष्ट व्यवस्था से आच्छादित कार्यों को सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 2,58,80,000 (रूपये दो करोड़ अट्ठावन लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मैं अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दयीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-465-X-2025-26, दिनांक 31.10.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-144/2025//001-1221(1)-23-12-2025-1978811-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- नोडल अधिकारी, (ऑनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।